कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्रीमती सुरज व अन्य — **विपक्षी** ग्रा.प. देवला कला

कस्म मुकदमा धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम — **प्रकरण संख्या** 07 / 2023

	कार्यवाही विवरण	
20/08/2024	–::निर्णय::– उपस्थितः श्री प्रकाश कुमार चौबिसा अधिवक्ता – अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 – उपस्थित। अपीलान्ट्स ने अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम की पेश कर अंकित किया कि ग्राम झिझणी खुर्द में राईगा पिता पुंजा मीणा के खातेदारी की आराजीयात देवला कलां एवं झिझणी खुर्द में स्थित है जो देवला कलां पंचायत के अन्तर्गत आती है। राईंगा पिता पुंजा मीणा के परिवार का सजरा अपील की कलम सं. 1 अनुसार है। राईंगा पिता पुंजा मीणा की मृत्यु के बाद सेवन से उनकी खातेदारी भूमि में नामान्तकरण सिर्फ वारिसान के तौर पर पत्नी रतनी के नाम पर खोल दिया गया और नामान्तकरण संख्या 30 व नामान्तकरण सं. 82 झिझणी खुर्द व देवला कलां के खोले गये जिसमें राईंगा के परिवार का सजरा अधुरा बनाकर मात्र रतजी पत्नी को वारिसान के रूप में दर्शाया गया जबकि उक्त सजरे अनुसार राईंगा के दो पुत्र व दो पुत्री हुए जिनके वारिसान भी अपीलार्थीगण है इस प्रकार से मात्र रतनी के नाम पर जमीन दर्ज होने से नामान्तकरण संख्या 30 ग्राम झिझणी खुर्द कुल किता 11 रकबा 2.14 हैक्टेयर भूमि में गलत दर्ज हुआ एवं इसी प्रकार ग्राम देवला कलां की कुल किता 3 रकबा 0.95 हैक्टेयर भूमि में सिर्फ रतनी का नाम गलत दर्ज हो गया तथा रतनी का स्वर्गवास हो चूका है। जिससे सम्पर्ण भूमि के एकमात्र वारिसान अपीलार्थीगण ही है चुंकि राईंगा के अपीलाथीगण मुल वारिसान है और इन्तकाल में दर्ज भूमि के एकमात्र स्वामी अधिकारी है जिससे इन्तकाल संख्या 82 गांव देवला कलां एवं इन्तकाल नम्बर 30 गांव झिझणी खुर्द को निरस्त किये जाने हेतु यह अपील आप श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है जिसे तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत जोधपुर खुर्द द्वारा जारी किया गया था। नामान्तकरण संख्या 30 व 82 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 27–09–2023 को प्राप्त होने से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः श्रीमान् से सानुरोध है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमा ग्राम झिझणी खुर्द की नामान्तकरण संख्या 30 व गांव देवला कलां की नामान्तकरण संख्या 82 को निरस्त फरमा समस्त अपीलार्थीगणो का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावे। अपील बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब कियां गया। विपक्षी सं. 1 ने जवाब मे स्व. राईंगा पिता पूंजा के परिवार का सजरा दर्शाते हुए अंकित किया कि उक्त सजरे अनुसार राईंगा पिता पुंजा मीणा की पत्नी रतनी के अलावा दो पुत्र केशरिया व देवा है तथा तीन पुत्रियां आलकी, कालु व जालु है जिससे राईंगा पिता पुंजा मीणा की मृत्यु के बाद उनकी अकेली पत्नी के नाम खोला गया नामान्तकरण गलत है जो निरस्त कीये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 को कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने से जवाब बन्द किया गया।	

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपील मे वर्णित तथ्यो एवं रेस्पोडेन्ट् सं. 1 द्वारा दर्शित सजरे अनुसार मृतक राईंगा के विधिक वारिशान का नामान्तकरण 30 व 82 त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–:आदेश:–

अपील अपीलान्ट्स स्वीकार किया जाकर मृतक राईंगा पिता पुंजा मीणा के विधिक वारिसान का ग्राम झिंझणी खुर्द नामान्तकरण संख्या 30 एवं ग्राम देवला कलां नामान्तकरण 82 अपास्त कर प्रकरण इन निर्देशो के साथ तहसीलदार सलूम्बर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक राईंगा के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नये सिरे से नामान्तकरण की कार्यवाही करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करे।

निर्णय आज दिनांक 20/08/24 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर